

एस. अथिलाक्ष्मी

बनाम

ड्रग इंस्पेक्टर राज्य प्रतिनिधि द्वारा

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 804)

15 मार्च, 2023

[न्यायमूर्तिगण कृष्णा मुरारी और सुधांशु धूलिया]

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940-एस. एस.18(ग), 27 (ख) (ii)-अपीलार्थी का अभियोजन यू/एस।18(ग) दंडनीय यू/एस।27(ख) (ii)-आयोजित:निषेध यू/एस।18(ग) बिक्री के उद्देश्यों के लिए दवाओं के निर्माण, वितरण, भंडारण या प्रदर्शनी पर है-वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन अनुचित था-अपीलार्थी एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है और साथ ही इस तथ्य के साथ कि जब्त की गई दवाओं की मात्रा बहुत कम थी, एक मात्रा जो आसानी से घर या डॉक्टर के परामर्श कक्ष में पाई जा सकती है-दवाओं की छोटी मात्रा को ध्यान में रखते हुए, जिनमें से अधिकांश लोशन और मलम की श्रेणी में हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी दवाओं को बिक्री के लिए 'स्टॉक' किया जा सकता है और बिक्री के उद्देश्य के लिए दवाओं के भंडारण की श्रेणी में आ सकता है-कोई अपराध नहीं किया जाता है-यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि अपीलार्थी किसी भी दवा से दवा बेच रहा था।123 चिकित्सा व्यवसायी के पक्ष में, अपीलार्थी को इन प्रावधानों का लाभ दिया जाना चाहिए था-इसके अलावा, तत्काल मामले में अभियोजन के लिए दी गई मंजूरी, प्रथम दृष्टया, दिमाग का उपयोग न करने के दोष से ग्रस्त है-उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करना दिया गया-अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई-औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945-अनुसूची के-औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1940 -r.123-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.482।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

जी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि अपीलार्थी काउंटर के पार एक खुली दुकान से मादक पदार्थ बेच रहा था। वह एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं जो एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और विभाग के प्रमुख, त्वचा विज्ञान के रूप में कार्यरत हैं, और कुछ शर्तों के तहत एक चिकित्सा व्यवसायी होने के नाते,

एच.

914 ए.

915

एस. अथिलाक्ष्मी बनाम राज्य प्रतिनिधि. ड्रग निरीक्षक ए द्वारा

वह उस कानून के तहत भी संरक्षित है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। दवाओं की कम मात्रा को ध्यान में रखते हुए, जिनमें से अधिकांश लोशन और मलम की श्रेणी में हैं, यह कल्पना के किसी भी विस्तार से नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी दवाओं को बिक्री के लिए 'स्टॉक' किया जा सकता है और बिक्री के उद्देश्य से दवाओं के भंडारण की श्रेणी में आएगा। जब किसी पंजीकृत चिकित्सक के परिसर में कम मात्रा में दवा पाई जाती है, तो यह एक खुली दुकान में काउंटर पर उनकी दवाओं को बेचने के बराबर नहीं होगा। वास्तव में, यह अपीलार्थी के खिलाफ आरोप भी नहीं है। निस्संदेह, धारा **18** के प्रावधान और कानून के तहत प्रासंगिक प्रावधान हैं, जिनका एक सामाजिक उद्देश्य है, जो अन्य बातों के साथ-साथ आम नागरिकों को अनैतिक चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा शोषण से बचाना है, और इस कारण से धारा **27** के तहत सजा कानून के तहत **5** साल तक बढ़ सकती है, और इसमें न्यूनतम **3** साल की सजा है। लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और यह देखते हुए कि अपीलार्थी एक पंजीकृत चिकित्सक है, इस तथ्य के साथ कि जब्त की गई दवाओं की मात्रा बहुत कम है, एक मात्रा जो आसानी से घर या डॉक्टर के परामर्श कक्ष में पाई जा सकती है, वर्तमान मामले में कोई अपराध नहीं माना जाता है। वास्तव में, नियमों के नियम **123** सहपठित अनुसूची 'के' के तहत एक अपवाद बनाया गया है, अपीलार्थी को इन प्रावधानों का लाभ दिया जाना चाहिए था और ऐसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को मुकदमे का सामना करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी जहां सभी संभावनाओं में अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में विफल रहा होगा। [पारस **8,9**] [922-ए-एफ]

बी.

सी.

डी.

ई.

1.2 हालाँकि, उच्च न्यायालय जिस पर विचार करने में विफल रहा, वह **1945** के नियमों की अनुसूची 'के' सहपठित नियम **123** में निहित प्रावधान हैं और जब यह स्वीकार किया जाता है कि अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि जब्त किए गए मादक पदार्थ काउंटर के पार एक खुली दुकान में बेचे जा रहे थे। चूँकि ऐसा नहीं किया जा रहा था, और चिकित्सा व्यवसायी के पक्ष में कानून के तहत एक अपवाद बनाया गया है जहां अनुसूची 'के' में दी गई दवाओं को अधिनियम के अध्याय **4** के दायरे से छूट दी जाएगी, इसलिए अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन अनुचित है। वर्तमान मामले में अभियोजन के लिए दी गई मंजूरी, प्रथम दृष्टया, दिमाग का उपयोग न करने के दुष्प्रभाव से ग्रस्त प्रतीत होती है। किसी भी दस्तावेज, साक्ष्य या प्रस्तुतियों का कोई संदर्भ नहीं है।

एफ.

जी.

एच.

916 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत, कोई कारण नहीं सौंपा गया है या यहां तक कि देरी से संबंधित एक स्पष्टीकरण जो इंगित करता है कि इसे यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है। [पैरा **10,14**]
[923-डी, 924-एफ]

हसमुखलाल डी. वोहरा और अन्न. वी. तमिलनाडु राज्य

2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1732; मनसुखलाल विठ्ठलदास चौहान बनाम गुजरात राज्य (1997) 7 एस. सी. सी. 622:[1997]

बी.

3 पूरक। एस. सी. आर. **705**; मो. शब्बीर बनाम राज्य

महाराष्ट्र (1979) 1 एस. सी. सी. 568:[1979] 2 एससीआर 997-पर निर्भर।

संदर्भित निर्णय

[1997] 3 पूरक। एस. सी. आर. **705** पैरा **14** **[1979] 2** एस. सी. आर. **997** पैरा **15** पर निर्भर था।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 804।

2020 के सी. आर. एल. ओ. पी. सं. 5579 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. पी. पार्थिबन, सुश्री प्रिया रंजिनी नागमुथु, ए. एस. वैरावन, आर. सुधाकरन, विकास राजकुमार, सुब्रमण्य भानू, देवेंद्रन, अलगेंद्रन, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए। कृष्णमूर्ति, ए. ए. जी., डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., शोभित द्विवेदी, सुश्री ऋचा विश्वकर्मा, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुधांशु धूलिया, जे द्वारा दिया गया था-

अनुमति दी गई।

2. इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है जो वर्तमान में सरकारी ओमांडुरार मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में एसोसिएट प्रोफेसर और त्वचा विज्ञान विभाग के प्रमुख के रूप में काम कर रहा है। अतीत में, उन्होंने रोयापेट्टा मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर और सिविल सर्जन का पद संभाला है। कानून के तहत उसके लिए चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति है जब वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है। अपीलार्थी, अपनी व्यक्तिगत और स्वतंत्र क्षमता में एक परिसर में अपनी चिकित्सा प्रैक्टिस कर रही थी जो चेन्नई में नंबर 87, रेड हिल्स रोड (उत्तर), विल्लीवक्कम में है ताकि उससे परामर्श किया जा सके और जहाँ वह अपने रोगियों से मिलती है और उनकी जाँच करती है।

3. उपरोक्त परिसर में ड्रग्स इंस्पेक्टर, विल्लीवक्कम रेंज द्वारा 16.03.2016 पर निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, औषधि निरीक्षक को उसके परिसर के भीतरी कमरे में निम्नलिखित दवाएं मिलीं।

औषधि निरीक्षक ने दवाइयों के कुछ बिक्री बिलों का भी उल्लेख किया जो इस प्रकार हैं

4. इसके बाद औषधि निरीक्षक ने औषधि नियंत्रण निदेशक, तमिलनाडु, चेन्नई-06 के कार्यालय से मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक आवेदन 22.09.2016 पर भेजा जो उसे 23.01.2018 पर दिया गया था। नतीजतन, ड्रग्स इंस्पेक्टर ने अधिनियम की धारा 27 (बी) (ii) के तहत दंडनीय ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 18 (सी) के तहत अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने के लिए एक्स मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एगमोर की न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज की।

5. इन कार्यवाहियों से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया। एल. डी. ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। 21.06.2022 पर एकल न्यायाधीश। इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

6. औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18 के तहत कुछ दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण, बिक्री आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धारा 18 इस प्रकार है:

18. कुछ दवाओं के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध और

सौंदर्य प्रसाधन।— ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित की जाए, कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा-(क)।

(ख) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में आयात या निर्मित किसी भी दवा (या सौंदर्य प्रसाधन) को बेचना या भंडारित करना या प्रदर्शित करना या बिक्री के लिए प्रस्ताव देना या वितरित करना;

(ग) [बिक्री के लिए या वितरण के लिए निर्माण, या बिक्री, या स्टॉक या प्रदर्शनी या बिक्री के लिए प्रस्ताव,] या किसी भी दवा [या सौंदर्य प्रसाधन] का वितरण, इस अध्याय के तहत ऐसे उद्देश्य के लिए जारी किए गए लाइसेंस के तहत और शर्तों के अनुसार:

बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी निर्धारित शर्तों के अधीन, परीक्षण, परीक्षण या विश्लेषण के उद्देश्य से किसी भी दवा की कम मात्रा के निर्माण पर लागू नहीं होगा: बशर्ते कि [केंद्र सरकार] बोर्ड के साथ परामर्श करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ए में निर्दिष्ट किसी भी शर्त के अधीन अनुमति दे सकती है।

अधिसूचना, [बिक्री के लिए या वितरण के लिए निर्माण, बिक्री, भंडारण या प्रदर्शन या बिक्री के लिए पेशकश] या किसी भी दवा या दवा के वर्ग का वितरण जो मानक गुणवत्ता का नहीं है।

धारा 18 (सी) के उल्लंघन के लिए सजा धारा 27 (बी) (ii) के तहत प्रदान की गई है जो इस प्रकार है:

27. इस अध्याय के उल्लंघन में मादक द्रव्यों का जुमाना या निर्माण, बिक्री, आदि-जो कोई भी, स्वयं या किसी अन्य द्वारा

अपनी ओर से अन्य व्यक्ति, बिक्री के लिए या वितरण के लिए निर्माण करता है, या बेचता है, या स्टॉक करता है या प्रदर्शन करता है या बिक्री के लिए प्रस्ताव देता है या वितरित करता है-(ए)

(ख) कोई भी दवा -

(i) (ii) धारा 18 के खंड (ग) के तहत आवश्यक वैध लाइसेंस के बिना, कारावास से दंडनीय होगा जो [तीन साल से कम नहीं होगा लेकिन जो पांच साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम या जब्त किए गए ड्रग्स के मूल्य का तीन गुना, जो भी अधिक हो]:

बशर्ते कि न्यायालय, निर्णय में दर्ज किए जाने वाले किसी भी पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, [तीन साल से कम और एक लाख रुपये से कम के जुर्माने] की अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकता है;

7. जैसा कि हम देख सकते हैं कि धारा 18 (सी) के तहत बिक्री के उद्देश्यों के लिए दवाओं के निर्माण, वितरण, भंडारण या प्रदर्शनी पर प्रतिबंध है। वर्तमान मामले में आरोप यह है कि

अपीलार्थी ने "बिक्री" के लिए दवाओं का "भंडार" किया था। इन दवाओं की "बिक्री" पर पूरा बल है। यह औषधि निरीक्षक द्वारा निदेशक, औषधि नियंत्रण, तमिलनाडु के कार्यालय से मांगी गई मंजूरी से स्पष्ट है, जिसमें दिनांक 23.01.2018 के अनुमोदन पत्र के अनुसार, उन्होंने कहा था कि अपीलार्थी पर निम्नलिखित के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जाए:

“औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (सी) बिक्री के लिए दवाओं का भंडार रखने और वैध औषधि लाइसेंस के बिना दवाओं को बेचने के लिए, जो उक्त अधिनियम की धारा 27 (बी) (ii) के तहत दंडनीय है।

इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के अनुसार उसने ड्रग्स का स्टॉक किया था और उन्हें बेच दिया था। औषधि नियंत्रण निदेशक और उच्च न्यायालय ने जिस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया वह यह है कि अपीलार्थी एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है, उसकी विशेषज्ञता का क्षेत्र त्वचा विज्ञान है। उनके पास एम. डी. है। (डी. वी. एल.) इस विशेषज्ञता में डिग्री। यह कोई मामला नहीं है कि उसने अपने परिसर में एक दुकान खोली थी जहाँ से वह काउंटर पर ड्रग्स और सौंदर्य प्रसाधन बेच रही थी। यह संभव है कि वह इन दवाओं को अपने रोगियों को आपातकालीन उपयोग के लिए वितरित कर रही थी और इस प्रकार वह अधिनियम द्वारा ही संरक्षित है। अनुसूची (के) जो औषधि और सौंदर्य प्रसाधन नियम, 1945 का एक हिस्सा है, एक छूट प्रदान करती है जिसकी हम आगे जांच करेंगे।

8. अधिनियम की धारा 33 के तहत, केंद्र सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिन्हें अधिनियम की धारा 38 के तहत इसके अनुसमर्थन के लिए संसद के समक्ष रखा जाना है। ये नियम बनाए गए हैं जिन्हें औषधि और सौंदर्य प्रसाधन नियम, 1940 के रूप में जाना जाता है। नियमों के नियम 123 में कुछ शर्तों के तहत कुछ दवाओं को अधिनियम के अध्याय IV के प्रावधानों से छूट दी गई है (जिसमें ऊपर उल्लिखित धारा 18 और धारा 27 दोनों शामिल हैं, जो दंडात्मक प्रावधान हैं)।

“123. अनुसूची के में निर्दिष्ट दवाओं को अधिनियम के अध्याय IV के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों से उस अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों की सीमा और अधीनता के अधीन छूट दी जाएगी।”

अनुसूची (के) के तहत प्रविष्टि संख्या 5 वे दवाएं हैं जो एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा आपूर्ति की जाती हैं जिनके साथ हम वर्तमान में संबंधित हैं। अनुसूची (के) का प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार है:-

अनुसूची के (नियम 123 देखें)

(जोर दिया गया)

अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि अपीलार्थी काउंटर के पार एक खुली दुकान से मादक पदार्थ बेच रहा था। वह एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं जो एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में

एसोसिएट प्रोफेसर और विभाग के प्रमुख, त्वचा विज्ञान के रूप में कार्यरत हैं, और एक चिकित्सा व्यवसायी होने के नाते, कुछ शर्तों के तहत, वह उस कानून के तहत भी संरक्षित हैं जिसे ऊपर संदर्भित किया गया है।

9. दवाओं की कम मात्रा को ध्यान में रखते हुए, जिनमें से अधिकांश लोशन और मलम की श्रेणी में हैं, यह कल्पना के किसी भी विस्तार से नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी दवाओं को बिक्री के लिए 'स्टॉक' किया जा सकता है और बिक्री के उद्देश्य से दवाओं के भंडारण की श्रेणी में आएगा। जब किसी पंजीकृत चिकित्सक के परिसर में कम मात्रा में दवा पाई जाती है, तो यह एक खुली दुकान में काउंटर पर उनकी दवाओं को बेचने के बराबर नहीं होगा। वास्तव में, यह अपीलार्थी के खिलाफ आरोप भी नहीं है। निस्संदेह, धारा 18 और 27 के प्रावधान कानून के तहत प्रासंगिक प्रावधान हैं, जिनका एक सामाजिक उद्देश्य है, जो आम नागरिकों को अनैतिक चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा शोषण से बचाना है, और इस कारण से धारा 27 के तहत सजा कानून के तहत 5 साल तक बढ़ सकती है, और इसमें न्यूनतम 3 साल की सजा है। लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और यह देखते हुए कि अपीलार्थी एक पंजीकृत चिकित्सक है, इस तथ्य के साथ कि जब्त की गई दवाओं की मात्रा बहुत कम है, एक मात्रा जो आसानी से घर या डॉक्टर के परामर्श कक्ष में पाई जा सकती है, हमारे विचार में वर्तमान मामले में कोई अपराध नहीं किया गया है। वास्तव में, नियमों के नियम 123 सहपठित अनुसूची 'के' के तहत एक अपवाद बनाया गया है, अपीलार्थी को इन प्रावधानों का लाभ दिया जाना चाहिए था और ऐसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को मुकदमे का सामना करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी जहां सभी संभावनाओं में अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में विफल रहा होगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी की धारा 482 Cr.P.C के तहत आवेदन को खारिज करते हुए इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है:

“9. इस प्रस्ताव के लिए किसी भी प्राधिकरण से संदर्भ लेने के लिए दिन में बहुत देर हो चुकी है कि धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए किसी शिकायत या आरोप को रद्द करने के लिए, न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्य की वैधता की जांच शुरू नहीं करनी चाहिए। न्यायालय को केवल यह देखना चाहिए कि क्या शिकायत में ऐसे आरोप हैं जो उन तत्वों के लिए आधार बनाते हैं जो न्यायालय द्वारा शिकायत किए गए कुछ अपराधों का गठन करते हैं।

यह देखने का भी अधिकार होगा कि (i) संज्ञान लेने के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का पालन किया गया है या नहीं और (ii) क्या शिकायत में निहित आरोप, भले ही पूरी तरह से स्वीकार किए गए हों, कथित अपराध का गठन नहीं करेंगे।

13. अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत पर एक नज़र डालने से पता चलेगा कि अपीलार्थी ने कथित अपराधों के लिए प्रत्यर्थियों पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक सामग्री को शामिल किया था। यह सवाल कि क्या अपीलार्थी आरोपों को कानून द्वारा ज्ञात तरीके से साबित करने में सक्षम होगा, बाद के चरण में ही उत्पन्न होगा।

10. लेकिन जिस पर उच्च न्यायालय विचार करने में विफल रहा, वह 1945 के नियमों की अनुसूची 'के' सहपठित नियम 123 में निहित प्रावधान हैं और जब यह स्वीकार किया जाता है कि अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि जब्त किए गए मादक पदार्थ काउंटर के पार एक खुली दुकान में बेचे जा रहे थे। चूंकि यह ऊपर जैसा कल्पना की गई है वैसा नहीं किया जा रहा था, और चिकित्सा व्यवसायी के पक्ष में कानून के तहत एक अपवाद बनाया गया है जहां अनुसूची 'के' में दी गई दवाओं को अधिनियम के अध्याय 4 के दायरे से छूट दी जाएगी, हमारा विचार है कि अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन अनुचित है।

11. प्रत्यर्थी के मामले की रीढ़ अपीलार्थी के परिसर से जब्त की गई 18 दवाओं की सूची के साथ बिक्री बिल है। हालांकि, प्रत्यर्थी द्वारा जारी कारण दिखाएँ नोटिस में बिक्री बिलों और जब्त की गई दवाओं का विवरण यह देखा गया है कि बिक्री बिल उन दवाओं के लिए भी नहीं हैं जिन्हें प्रत्यर्थी द्वारा जब्त किया गया है।

12. इसके विपरीत, कारण दर्शाओ नोटिस दिए जाने पर, अपीलार्थी को धारा 18-ए के तहत उन व्यक्तियों के नाम और पते का खुलासा करने का निर्देश दिया गया, जिनसे उसने जब्त किए गए मादक पदार्थ प्राप्त किए थे। उसी के अनुपालन में, अपीलार्थी ने अपनी प्रामाणिकता दिखाने के लिए दवा की दुकानों से कई चालान प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा, ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी, तमिलनाडु द्वारा दवाओं के निरीक्षण पर उन्होंने एक निष्कर्ष दिया कि दवाएं 'मानक गुणवत्ता' की थीं, जो इंगित करता है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलार्थी काउंटर पर नकली दवाएं बेचने के लिए दुकान चला रहा था।

13. एक अन्य कारक जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि तलाशी 16.03.2016 पर की गई थी और अभियोजन के लिए 22.09.2016 पर मंजूरी मांगी गई थी और मंजूरी अंततः 23.01.2018 पर दी गई थी। मंजूरी प्राप्त करने में इस देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। हसमुखलाल डी. वोहरा और अन्न बनाम के हाल ही में तय किए गए मामले में। तमिलनाडु राज्य 1, एक याची के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि विचाराधीन पदार्थ भारतीय फार्माकोपिया के तहत एक दवा नहीं थी। विचार में से एक कार्यवाही में देरी थी जिसके खिलाफ निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं,

'25. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने प्रारंभिक स्थल निरीक्षण, कारण बताए जाने की सूचना और शिकायत के बीच चार साल से अधिक की असाधारण देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वास्तव में, इस तरह के स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति केवल न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के पीछे कुछ भयावह उद्देश्य का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करती है।

26. हालांकि अपने आप में अत्यधिक देरी एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए आधार नहीं हो सकती है, ऐसे मामलों में, इस तरह की अवधि की अस्पष्टीकृत अत्यधिक देरी

को एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के आधार के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाना चाहिए।

27. हालांकि यह न्यायालय आपराधिक शिकायत के स्तर पर पूर्ण जांच की उम्मीद नहीं करती है, लेकिन ऐसे मामलों में जहां आरोपी को इतने लंबे समय तक आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की आशंका है, न्यायालय के लिए जांच अधिकारियों से न्यूनतम सबूत की उम्मीद करना उचित है।'

14. वर्तमान मामले में अभियोजन के लिए दी गई मंजूरी, प्रथम दृष्टया, दिमाग का उपयोग न करने के दुष्प्रभाव से ग्रस्त प्रतीत होती है। किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज, साक्ष्य या प्रस्तुतियों का कोई संदर्भ नहीं है, कोई कारण नहीं दिया गया है या यहां तक कि देरी से संबंधित स्पष्टीकरण भी नहीं है जो इंगित करता है कि इसे यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है। इस न्यायालय ने मनसुखलाल विठ्ठलदास चौहान बनाम गुजरात राज्य 2 के मामले में, मध्यम सिंचाई परियोजना प्रभाग, गुजरात के साथ जुड़े एक संभागीय लेखाकार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 के तहत दी गई पूर्व मंजूरी के महत्व पर प्रकाश डाला। इसे इस प्रकार देखा गया:

1 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1732 2 (1997) 7 एस. सी. सी. 622 ए

'19. चूंकि "मंजूरी" की वैधता मामले के तथ्यों के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और साक्ष्य के लिए मंजूरी देने वाले प्राधिकरण द्वारा दिमाग की प्रयोज्यता पर निर्भर करती है, इसलिए यह आवश्यक है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकरण को वास्तविक संतुष्टि पैदा करने के लिए अपने स्वयं के स्वतंत्र दिमाग को लागू करना होगा कि क्या अभियोजन को मंजूरी दी जानी है या नहीं।'

15. इस मामले में झूठ्स रखने पर दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है। हालांकि, यह न्यायालय मोहम्मद के मामले में है। शब्बीर बनाम महाराष्ट्र राज्य 3 ने आंशिक रूप से एक अपील को स्वीकार करते हुए और 1940 के अधिनियम के प्रावधान 18 (सी) के तहत मुकदमा चलाए गए एक अपीलार्थी को रिहा करने का निर्देश देते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि कब्जा करना अपने आप में एक अपराध नहीं होगा, लेकिन अभियोजन पक्ष को धारा 27 के तहत आवश्यक घटक साबित करना होगा, जो यह था कि दवा का एक 'स्टॉक' भी बिक्री के लिए था। इसे इस प्रकार देखा गया:

'4....इसलिए, हम मानते हैं कि इससे पहले कि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 27 (ए) (आई) (आई) सहपठित धारा 18 (सी) के तहत अभियोजन या दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी हो, अभियोजन पक्ष द्वारा यह सकारात्मक रूप से साबित किया जाना चाहिए कि वह बिक्री के लिए दवाओं का निर्माण कर रहा था या उसे बेच रहा था या उन्हें भंडारित किया था या बिक्री के

लिए वस्तुओं का प्रदर्शन किया था। वस्तुओं का आसान कब्जा अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत दंडनीय नहीं प्रतीत होता है। यदि, इसलिए, धारा 27 के आवश्यक तत्व संतुष्ट नहीं हैं तो दोषी की याचिका न्यायालय को अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती है।'

16. मंजूरी देने वाले प्राधिकरण ने इस बात की बिल्कुल भी जांच नहीं की थी कि क्या एक चिकित्सक पर मामले के तथ्यों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, दवाओं की कम मात्रा और नियम 123 के तहत चिकित्सा व्यवसायी के पक्ष में बनाए गए अपवाद को देखते हुए, जिसे अनुसूची "के" के सहपठित पढ़ा जाता है। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को इन सभी कारकों पर विचार करना चाहिए था। इन परिस्थितियों में हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश अपास्त करना कर देते हैं और एक्स मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई की फाइल पर 2018 के आपराधिक मामले संख्या 7315 में आपराधिक कार्यवाही अपास्त कर देते हैं।

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: आदिराज बाली और शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

3 (1979) 1 एस. सी. सी. 568